

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद चमोली ।

पत्रांक न-10/सीएफओ- CMI/RPG/25

दिनांक अक्टूबर 6 2025 ।

स्वामी/प्रबन्धक,

M/S SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL

KARANPRAYAG

DISTRICT- CHAMOLI

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual Clearance NOC** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर -55005494 दिनांक 22.09.2025 जो कि **Uttrakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर की निरीक्षण आख्या दिनांक:-अक्टूबर 4 2025 के अनुसार उक्त संस्थान में लगाये गये समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये हैं तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक विद्यालय है। जिसमें कुल **G+3** तल है जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल 5000 वर्गमी० है, तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (**Coverd Area**) 4400 वर्गमी० है, भवन /संस्थान की ऊँचाई 12 मी० है, भवन/संस्थान में बेसमेंट नहीं है, भवन/संस्थान में 48 कक्ष उपलब्ध है।

अतः उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/xx-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुपालन में 6 अक्टूबर 2025 से 5 अक्टूबर 2028 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण- पत्र निम्न बिन्दुओं के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील रखने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबंधन को अग्निरोधक उपाय सदा करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी सैट बैंक एरिया व निर्माण **Land UseChange** में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र /Self Declaration Certificate प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (**Update**) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(गिरीश सिंह बिट)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
चमोली/रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:-प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्थान में अग्निशमन व्यवस्था मानकानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु समय-समय पर अमल में लाना सुनिश्चित करेंगे।

16/10/25

